संख्या– 269 /VI-I/2008–5(29)2006

प्रेषक,

सुबर्द्धन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति अनुभाग : देहरादून दिनांक 27 जून, 2008

विषय :–**शहीद स्मारकों का निर्माण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2690/स.नि.उ./दो–3/2007–08 दिनांक–20, मार्च, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका में इंगित निर्माण कार्यो हेतु टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 66.18 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को शासनादेश संख्या– 208/VI-I/2008–2(27)/2007, दिनांक– 8–5–08 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी हुई धनराशि से श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन निम्नानुसार व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

निर्माण हेतु प्रस्तावित शहीद स्मारक आदि का नाम	टी.ए.सी. द्वारा संस्तुत एवं अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0श्री प्रेम सिंह नेगी जी की चिरस्मृति में उनके पैतृक गांव सगवान जनपद टिहरी गढ़वाल में स्मारक निमार्ण	13.88
2.ग्राम डबरा (सल्ट) अल्मोड़ा में शहीद स्मारक भवन निमार्ण	16.36
3.ग्राम कुमारकोट (पुरोला) उत्तरकाशी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मिलन केन्द्र एवं पार्क निर्माण	16.36
4.ग्राम तडांग (बाराकोट) जनपद चम्पावत में कीर्तिचक विजेता स्व0 लैस नायक रमेश सिंह के शहीद स्मारक निमार्ण हेतु।	3.73
5.स्वंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 पं. हर्षदेव ओली जी के पैतृक भवन के जीर्णोद्धार हेतु	11.61
6.स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0श्री जगत सिंह पांगती जी की स्मृति में स्मारक,पार्क सौन्दर्यीकरण एवं स्थल निमार्ण हेतु।	4.24
धनराशि का कुल योग	**66.18**

2. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

(01)

3. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर किया जाएगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जाएगा।

4. समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

5.आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6.कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाये।

7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये ज़ितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

9.कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लें, निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये।

10. आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय।

11.एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनेके उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

12. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री किसी प्रयोगशाला से टेस्टीग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

13. जी.पी.डब्लू फार्म 09 की शर्तो के अनुसार निमार्ण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा कार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण बकाया से दण्ड वसूल किया जायेगा।

14. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं.0–2047/XIV–219(2006) दिनांक– 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

15. सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाय।

16. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य से प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

17. यहां यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु धनराशि जिला योजना से प्राप्त नहीं की गयी है/जायेगी।

18.उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिय जाये।

19. उक्त व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04–कला एवं संस्कृति–106–संग्रहालय–03–संग्रहालय भवन संबंधी निर्माण–00–24 वृहत्त निर्माण कार्य मानक मद से वहन किया गया।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–115 (पी) / वित्त अनु0–3 / 2008 दिनांक– 02 जून 2008, में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 269 /VI-I / 2008–5(29)2006तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1 / 105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, टिहरी गढ़वाल / अल्मोड़ा / उत्तरकाशी / चम्पावत / पिथौरागढ़।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. एन0आई0सी0 देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव